9-8-19 तहसीलदार किशनगढ़ बास की ओर से पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल उप० / जवाब पेश हुआ। वास्ते सुनवाई दिनांक 23-8-19 को पेश हो।

26-8-19 अवकाश होने से आज पेश हुई। वास्ते ओदेश दि० 6-9-19 को पेश हो।

6-9-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब मीटिंग में अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आइन्दा दिनांक 13-9-19 को पेश हो।

रीडर

13-9-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अवकाश पर हैं। अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आइन्दा दिनांक 27-9-19 को पेश हो।

रीडर

27-9-19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

आदेश पारित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

प्रा.पत्र संख्या	पेश तिथि	निर्णय तिथि
59	26-8-19	27-9-19

उनवान

1- सरकार जरिये तहसीलदार ([illegible]) किशनगढ़-बास जिला अलवर :-प्रार्थी

बनाम

1- सुलेमान, उमरदीन पुत्रान धौसी जाति मेव निवासी बिदरका तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :-अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट.

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त वृत्तान्त निम्न प्रकार से है :-

तहसीलदार किशनगढ़-बास ने प्रा.पत्र पेश किया कि पटवारी हल्का व भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिदरका में मुताबिक मिसलबन्दोबस्त एवं नक्शा ट्रेस में ख.नं. 322/483 दर्ज है। जबकि मिसल हकीयत सं. 2029 एवं जमाबन्दी सं. 2069-72 के खाता सं. 139 में ख.नं. 382/483 दर्ज है। अतः जमाबन्दी सं. 2069-72 के खाता सं. 139 में ख.नं. 382/483 के बजाय 322/483 दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रा.पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर स्वीकार किया कि रिकार्ड की एकरूपता के लिए जमाबन्दी में दुरूस्ती किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है दुरूस्ती की जावे।

हमने पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. का अवलोकन किया। प्रा.पत्र के संलग्न रिपोर्ट एवं अप्रार्थीगण के जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :-

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़-बास को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बिदरका की जमाबन्दी सं. 2069-72 के खाता सं. 139 में ख.नं. 382/483 के बजाय 322/483 दर्ज कर शुद्धी की जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढ़-बास को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner